



प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

तालगांव क्षेत्रांतर्गत घटित घटना में दो शातिर अपराधी गिरफ्तार, नगदी जेवरात बरामद

दिनांक- 26.7.2021

दिनांक 25.7.2021 को श्री रामहेत पुत्र स्व० लल्लूराम नि० अगगरपुर ने अपने घर में चोरी की नीयत से घुसे अज्ञात चोरो को देख लेने पर हमला करने की सूचना दी थी। इस संबंध में वादी से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना तालगांव पर मु०अ०सं० 263/21 धारा 460 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था। पुलिस अधीक्षक श्री आर.पी.सिंह द्वारा घटना के शीघ्रातिशीघ्र अनावरण व संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी के निकट पर्यवेक्षण में 11 टीमों का गठन किया गया था।

घटना के अनावरण का विवरण – दिनांक 24/25.7.21 की रात्रि श्री रामहेत पुत्र स्व० लल्लूराम नि० अगगरपुर के घर में चोरी की नीयत से घुसे तीन अज्ञात चोरों को घर के लोगों द्वारा देख लेने पर चोरों द्वारा हमला किया गया था जिसमें श्री रामहेत व उनकी पत्नी श्रीमती विनीता सहित तीन लोग घायल हुए थे जिन्हें इलाज हेतु अस्पताल ले गये थे, जहां से श्री रामहेत व उनके भाई को इलाज उपरांत डिस्चार्ज कर दिया गया था व पत्नी की इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी। घटना के समय एक चोर देशराज पुत्र रामनरेश निवासी ग्राम रमुआपुर थाना लहरपुर, सीतापुर को लोगो के द्वारा पकड़ लिया गया था जिसको पुलिस ने कब्जे में लेकर गहनता से पूछताछ की तो बताया कि अपने 02 अन्य साथियों के साथ रामहेत उपरोक्त के घर से चोरी के दौरान घर वालो के जागने पर हमे पकड़ने की कोशिश में फायर हुआ था और उसे गांव वालो ने पकड़ लिया था। देशराज से हुई पूछताछ/जानकारी के आधार पर घटना में संलिप्त दो अन्य अभियुक्तों में से एक अभियुक्त पंकज लोध पुत्र रामगुलाम निवासी ग्राम रमुआपुर मजरा कुलताजपुर थाना लहरपुर जनपद सीतापुर को थाना तालगांव पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है।

दोनों अभियुक्तों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक अदद मोटरसाइकिल बजाज सीटी-100 नं० UP 34 AZ 0082 व चोरी के 4,000/-रुपये नगद, एक जोड़ी सफेद धातु की पाजेब, एक अदद पीली धातु की लॉकेट, 06 अदद मीना, एक अदद डी.एल. , 1 अदद आधार कार्ड, 2 अदद एटीएम/डेबिट कार्ड बरामद हुए हैं। अभियुक्त देशराज उपरोक्त की निशानदेही पर एक अदद तमंचा व दो कारतूस 315 बोर व अभियुक्त पंकज उपरोक्त के पास से एक तमंचा व दो कारतूस 12 बोर बरामद हुए हैं। बरामदगी व गिरफ्तारी के संबंध में अभियुक्तों के विरुद्ध अंतर्गत धारा 25(1-बी) आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर चालान अंतर्गत धारा 460/411 भादवि माननीय न्यायालय किया गया है। घटना में संलिप्त एक अन्य अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु 11 टीमों लगायी गयी हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम/पता एवं बरामदगी का विवरण-

1. देशराज लोध पुत्र रामनरेश निवासी ग्राम रमुआपुर मजरा कुलताजपुर थाना लहरपुर, सीतापुर
 - **बरामदगी-** एक अदद मोटरसाइकिल बजाज सीटी-100 नं0 UP 34 AZ 0082, 2000/-रुपये नगद, एक जोड़ी सफेद धातु की पाजेब, एक अदद पीली धातु की लॉकेट, 01 तमंचा व 1 जिंदा व 1 खोखा कारतूस 315 बोर
2. पंकज लोध पुत्र रामगुलाम निवासी ग्राम रमुआपुर मजरा कुलताजपुर थाना लहरपुर, सीतापुर
 - **बरामदगी-**06 अदद मीना, 2000/- रूपये नगद, 01 तमंचा, 02 कारतूस 12 बोर, वादी रामहेत के भाई संतोष का एक अदद डी.एल/एक अदद आधार कार्ड/दो अदद एटीएम-डेबिट कार्ड बरामद

आपराधिक इतिहास अभियुक्त देशराज उपरोक्त-

1. मु0अ0सं0 381/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना हरगांव सीतापुर
2. मु0अ0सं0 30/20 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना लहरपुर सीतापुर
3. मु0अ0सं0 263/21 धारा 460/411 भादवि थाना तालगांव, सीतापुर
4. मु0अ0सं0 265/21 धारा 25(1-बी) आर्म्स एक्ट थाना तालगांव, सीतापुर

आपराधिक इतिहास अभियुक्त पंकज उपरोक्त-

1. मु0अ0सं0 114/2015 धारा 392 भादवि थाना खीरी जनपद लखीमपुर
2. मु0अ0सं0 263/21 धारा 460/411 भादवि थाना तालगांव, सीतापुर
3. मु0अ0सं0 266/21 धारा 25(1-बी) आर्म्स एक्ट थाना तालगांव, सीतापुर

पुलिस टीम थाना तालगांव:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री अनिल कुमार सिंह
2. व0उ0नि0 श्री कृष्ण चन्द्र तिवारी
3. हे0का0 महेन्द्र प्रताप सिंह
4. हे0का0 रामप्रताप सिंह

